

08.042024:—आज पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। वादी का मूल वादपत्र आपसी राजीनामा आधार पर खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

@ceer
सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़